संख्या 454/1(2)व.ग्रा.वि./2004–9(22)/2001

प्रेषक,

बी.पी. पाण्डेय
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 27 मार्च, 2004

विषयः वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने तथा उसका क्रियान्वयन व अनुश्रवण किये जाने हेतु प्रदेश में जनपद, विकास खण्ड एवं वन पंचायत स्तर पर समितियों का गठन.

महोदय,

आप अवगत हैं कि वनों में अग्नि घटनाओं से प्रतिवर्ष बहुमूल्य राष्ट्रीय वन सम्पदा की अपूर्णीय क्षति होती है. गत वर्ष अग्नि दुर्घटनाओं की बड़ी संख्या एवं अग्नि दुर्घटनाओं में हुई जनहानि को मध्यनजर रखते हुए इस वर्ष प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है. इसके लिए सभी सम्बन्धित जनमानस का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाना अत्यावश्यक है. वनों पर ग्रामीणों की अत्यधिक निर्भरता होने के कारण अग्नि घटनायें, बाढ़, व सूखे जैसी दैवी आपदा के ही समान है. वनों में आग की रोकथाम के लिए यद्यपि वन विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्य योजना (एक्शन प्लान) तैयार कर ली गई है परन्तु वनाग्नि पर नियंत्रण पाने का दायित्व केवल वन विभाग द्वारा निर्वहन किया जाना सम्भव नहीं है. इस गम्भीर समस्या के निदान हेतु अन्य राजकीय विभागों, स्थानीय जनता व सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त किया जाना, विशेषकर इस वर्ष की प्रतिकूल परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुये अत्यावश्यक है.

2. उत्तरांचल के समस्त जनपद अग्नि–दुर्घटनाओं की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है. अतः वनाग्नि की रोकथाम के लिए रणनीति तैयार किये जाने, उसके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये प्रदेश के प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला स्तरीय समिति" का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका स्वरूप निम्नवत रहेगा:–

जिला स्तरीय समिति

(1)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	[illegible]
(3)	मुख्य विकास अधिकारी	[illegible]
(4)	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी जो अधिशासी अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम न हो	[illegible]
(5)	समस्त परगनाधिकारी	सदस्य
(6)	जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण में रुचि रखते हो	सदस्य
(7)	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य संयोजक

3. इसी प्रकार ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में "विकास खण्ड स्तरीय समिति" का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका स्वरूप निम्नवत रहेगा:-

खण्ड विकास स्तरीय समिति

(1)	ब्लॉक प्रमुख	अध्यक्ष
(2)	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
(3)	मुख्यालय पर सम्बन्धित थाने का थानाध्यक्ष	सदस्य
(4)	परगनाधिकारी द्वारा नामित राजस्व अधिकारी, जो नायब तहसीलदार स्तर से कम न हो	सदस्य
(5)	ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित 2 ग्राम प्रधान	सदस्य
(6)	ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण में रुचि रखते हो	सदस्य
(7)	सहायक वन संरक्षक	संयोजक

4. वन पंचायतों के स्तर प्रत्येक गांव में वनाग्नि अवरोधक समिति के गठन का निर्णय लिया गया है जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा:-

वन पंचायत स्तरीय समिति

(1)	ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
(2)	पटवारी/लेखपाल	सदस्य
(3)	सम्बन्धित क्षेत्र का वन दरोगा	संयोजक
(4)	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
(5)	वन रक्षक	सदस्य
(6)	उप प्रधान	सदस्य
(7)	ग्राम की महिला	सदस्य

5. समितियों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे-

(1) आरक्षित, सिविल व पंचायत वनों में अग्नि सुरक्षा हेतु जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात व अनुरूप उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना.

(2) सिविल वनों में अग्नि सुरक्षा हेतु वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना.

..3

For Interpretation

(3) पंचायती वनों की अग्नि सुरक्षा हेतु पंचायतीराज विभाग, वन विभाग, सरपंच एवं ग्रामीणों की भूमिका तय करना व उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना.

(4) लोक निर्माण विभाग, डी0जी0बी0आर0 की सड़कों को पक्का कराये जाने आदि के कार्यों के समय वनों की आग से सुरक्षा हेतु सतर्कता बरतना एवं इन विभाग के कर्मचारियों व श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना.

(5) वनों में अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा कार्य का सिंहावलोकन व इनका अनुश्रवण किया जाना.

(6) वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी कार्यवाही करना जिसे समिति आवश्यक समझे. (यथा एस0एस0बी0 वन पंचायत, ग्राम वन समिति, इको डेवलपमेंट समिति, स्वयंसेवी संस्थान आदि का सहयोग)

(7) शासन को विशेष अतिरिक्त उपाय एवं संसाधनों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करना.

6. समितियों द्वारा अपनी बैठक विशेषरूप से माह फरवरी से जून की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाय. इसके अतिरिक्त आपातकाल में बैठक तत्समय आयोजित की जा सकती है.

7. समस्त जिलाधिकारी अपने जनपद में अग्नि सीजन ■ मार्च से जून की प्रथम वर्षात तक एक कंट्रोल रूम स्थापित कर उसे 24 घण्टे सक्रिय रखेंगे.

8. समस्त जिलाधिकारी अपने स्तर से पंचायत वनों तथा सिविल सोयम वनों में, वनाग्नि की दुर्घटनाओं का विवरण प्राप्त करके उसकी सूचना वन विभाग द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप (संलग्न) में अंकित कर उसकी दैनिक सूचना डी0एम0एम0सी0/एन0आई0सी0 को प्रेषित करेंगे.

9. कृपया समिति की बैठकें तत्काल आयोजित कर अपेक्षित कार्यवाही करायी जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को नियमित तौर पर अवगत कराने का कष्ट करें.

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(बी0पी0 पाण्डे)
सचिव

संख्या 454(1)/1(2)व.ग्रा.वि./2004,तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव, उत्तरांचल शासन.
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग/आपदा विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल एवं समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क/अभ्यारण्य, उत्तरांचल.
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल.
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधीशासी अभियन्ता, लोक निर्माण, उत्तरांचल.
6. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल, देहरादून/प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय.
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल.
8. मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी के निजी सचिव को मा0 मंत्री जी की सूचनार्थ.
9. गार्ड फाइल (ए).

(किशन नाथ)
अपर सचिव

File Compression

संलग्नक—1

वनाग्नि घटनाओं की दैनिक रिपोर्टिंग का प्रारूप

दिनांक:.............................

जनपद	प्रभाग का नाम	अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या		अग्नि से प्रभावित क्षेत्रफल		योग (5 व 6)	प्रभावित वृक्षारोपण क्षेत्रफल (है० में)	प्रभावित लीसा घावों की संख्या	अग्नि से प्रभावित जे०एफ०एम०/ ईकोटूरिज्म ग्रामों की संख्या
		आरक्षित वन क्षेत्र	सिविल/वन पंचायत	आरक्षित वन क्षेत्र (है०)	सिविल /वन पंचायत क्षेत्र (है०)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	110

अतिरिक्त सूचनाओं जैसे मृत/घायल पशुओं, मृत/घायल व्यक्तियों की सूचना अनियंत्रित अग्नि घटनाओं की सूचना यहाँ दर्शायें।